न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 36 / 2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/ 41)

रतनाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट साकिन बिलंगा तहसील सुजानगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत जिली तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री राजेश बैद – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 30.05.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय दिनांक 21.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार (भू.अ.) सुजानगढ द्वारा ग्राम पंचायत जीली से प्राप्त प्रस्ताव एवं पटवार हल्का जीली एवं भू.अभिलेख निरीक्षक जीली की रिपोर्ट के अनुसार चालू आम रास्तो / सड़क का राजस्व रिकॉर्ड में कटाण रास्ते दर्ज हेतु प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ को दिनांक 07.09.2021 को प्रेषित किया। उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ द्वारा उसी प्रस्ताव को बाद टिप्पणी मूल ही प्रस्ताव बाद आदेश तहसीलदार सुजानगढ को अपने आदेश दिनांक 21.09.2021 को भिववाये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस के दौरान कहा कि ग्राम मालकसर के ख. 365 / 187 की 4.3182 हैक्टर व 0.1328 हैक्टर तथा ख. नं. 368 / 188 की 4.9568 हैक्टर व 0.0379 हैक्टर भूमि अपीलान्ट की

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खातेदारी भूमि है। इसके अलावा अन्य भूमि भी अपीलान्ट की खातेदारी है। उक्त भूमि मे से कभी भी किसी संक्षम अधिकारी द्वारा रास्ता स्वीकृत नही हुआ था। ग्राम सरपंच द्वारा पंचायत के सभी सदस्यो की सहमति बिना अवैध रूप से बिना अपीलान्ट की सहमति के, व बिना सुने कटाणी रास्ते राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है उन्हे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हेतु उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ को दिनांक 20.02.2021 को प्रस्ताव भेजा था। ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार से बाहर बिना प्रावधान के प्रस्ताव भेजा था। दिनांक 07.09.2021 को तहसीलदार सुजानगढ द्वारा उसी प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय में भेजा कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल व अंकन का दुरूस्त किया जावे। उक्त आदेश अपीलान्ट के खेत बाबत है जबकि अपीलान्ट को बिना सुने ही इकतरफा तौर पर आदेश एव समस्त प्रक्रिया हुई है। अपीलान्ट को ना ही भूमि का कोई मुआवजा मिला ना ही कोई बदले में भूमि मिली है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 के अन्तर्गत एक तरफा आदेश पारित किया जबकि धारा 136 में दोनो पक्षो को सुनकर रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ का आदेश दिनांक 21.09.2021 निरस्त फरमावें व तहसीलदार सुजानगढ व ग्राम सरपच के प्रस्ताव भी निरस्त फरमावे। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2016 पेज 394, RRD 2008 पेज 34, RRD 2009 पेज 560, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में जहा प्रचलित रास्ते है वहा दर्ज किया है। उक्त रास्ता नया नही है, ये बहुत पहले से करीब 20 से चल रहा था। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर उपखण्ड अधिकारी को भेजा गया है। ग्राम पंचायत के संमक्ष तीन काश्तकारो की सहमति थी, जिसमे स्वय अपीलान्ट की वर्ष 1998 से सहमति थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू आम रास्तो को ग्राम पंचायत/तहसीलदार के प्रस्ताव पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा खातेदार की भूमि को कम किये बिना प्रचलित रास्तो को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के प्रावधान है, जिसके अनुसरण मे अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ द्वारा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार सुजानगढ के प्रस्ताव क्रमांक 2238 दिनांक 07.09.2021 में प्रस्ताव में खातेदारो की सहमति व रास्तो का रिकार्ड में अमल हेतु अभिशंषा की है। प्रस्ताव के साथ सलग्न इकरारनामा दिनांक 30.06.1998 के अनुसार अपीलान्ट रतनाराम द्वारा रास्ते के संदर्भ में सहमति जाहिर की है, अपीलान्ट की सहमति के आधार पर ही उपखण्ड अधिकारी के द्वारा वर्षो से प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003 पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश पारित किये है। जिससे स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के द्वारा ना तो कोई रास्ता स्वीकृत किया है ना ही कोई खातेदार की भूमि कम की गई है, जिससे कोई कानूनी त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।